न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
ग्रामीण सेवा शिविर 2025 नेठवा

अनुवान लीक्ष्मणराम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –..610.../2025
निर्णय दिनांक 22-12-2025

लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम जाति नायक निवासी रेवासी तहसील तारानगर जिला चूरू
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 नेठवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 88 के खसरा नं. 159/110 तादादी 1.0116 है0, रोही ग्राम रेवासी तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम लिछमण पुत्र राऊराम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम लिछमण पुत्र राऊराम के स्थान पर लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः खाता संख्या 88 के खसरा नं. 159/110 तादादी 1.0116 है0, रोही ग्राम रेवासी तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम लिछमण पुत्र राऊराम Delete कर इसके स्थान पर लीक्ष्मण राम पुत्र राउ राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22-12-2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 नेठवा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)